

पत्र सं.-09 / दै०वे०भो०-०२-०५ / २०१५ ज.स. :- 2615

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक:- फांसिस जेवियर कुजूर,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,
मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई रॉची / दुमका।

विषय:- दैनिक वेतन भोगी अवधि के बकाया वेतन का भुगतान अनियमित रूप से अधिक राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा कतिपय वादो एवं अवमाननावादों में परित न्यायानिर्णय के अनुपालन में कर्मियों को उनके दैनिक वेतन भोगी कार्यावधि का बकाया पारिश्रमिक राशि न्यूनतम वेतनमान के न्यूनतम वेतन के समतुल्य किया जाना था।

परंतु कतिपय वादों से संबंधित वादियों को बकाया पारिश्रमिक का भुगतान महगाई भाता, चिकित्सा भता तथा अन्य भत्तों को शामिल करते हुए किया गया है, जो वित्त विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के अनुकूल नहीं है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में परामर्श दिया गया है कि “दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को धारित पद के लिए स्वीकृत वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर जीवन यापन भता मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता को शामिल कर भुगतेय राशि की गई है जो सही नहीं है।”

विदित हो कि वितीय वर्ष के अंतिम दिनों में वित्त विभाग के परामर्शानुसार समरूप सभी कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान भत्तों की राशि को घटाकर किया गया है। इस संबंध में संघ के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कर्मियों के बकाया भुगतान में असमानता एवं विभेद है। (छायाप्रति संलग्न)

अतएव विभाग को यह प्रतिवेदित/सूचित किया जाए कि किन-किन मामलों में कितने कर्मियों को परामर्श/नियम से हटकर भुगतान किया गया है। संबंधित कर्मियों के प्रमण्डलवार एवं कर्मीवार अधिकाई भुगतान की गई राशि पूर्ण विवरणी सहित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करायी जाए एवं आच्छादित वादों का भी अंकन किया जाए।

विश्वासभाजन,

46.301715

(फांसिस जेवियर कुजूर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 2615

रांची, दिनांक:- 31-7-15

प्रतिपिलि:- सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/ सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(फांसिस जेवियर कुजूर)
सरकार के उप सचिव।

30.7.15

ज्ञापांक 2615 दिनांक 31-7-15

प्रतिलिपि:- देवेश मैनेजर, जल संसाधन विभाग को आवश्यक कार्रवाई पुस्ति।

सरकार के उप सचिव
जल संसाधन विभाग।